महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर

दूरभाष –0151–2212041,2212044 2212042 (फैक्स)

क्रमांक प.07(334)मगंसिविबी / बोम–20 / 2012 / दिनांक

समस्त सदस्य
प्रबन्ध मण्डल,
महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय,
बीकानेर (राज.)

विषय :– प्रबन्ध मण्डल की 20 वीं बैठक का कार्यवाही विवरण भिजवाने बाबत।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि दिनांक 18–10–2012 को आयोजित प्रबन्ध मण्डल की 20 वीं बैठक का कार्यवाही विवरण इस पत्र के साथ संलग्न कर भिजवाया जा रहा है।

संलग्न – उपरोक्तानुसार

भवदीय,

कुलसचिव

क्रमांक प.07(334)मगंसिविबी / बोम–20 / 2012 / 225-47 दिनांक 29-10-2012

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि अपने विभाग / अनुभाग से संबंधित एजेण्डा बिन्दु पर लिये गए निर्णयानुसार पालना कर प्रालना प्रतिवेदन कुलसचिव कार्यालय में भिजवाने की व्यवस्था करे–

1. वित्त नियंत्रक, महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर।
2. परीक्षा नियंत्रक, महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर।
3. समस्त विभागाध्यक्ष, महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर।
4. उप कुलसचिव (शैक्षणिक), महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर।
5. निदेशक,शोध, महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर।
6. सम्पदा अधिकारी / सहायक निदेशक (शारीरिक शिक्षा), महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर।
7. पुस्तकालयाध्यक्ष, महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर।
8. सहायक कुलसचिव (परीक्षा / गोपनीय / शैक्षणिक / नामाकंन), महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर।
9. समस्त अनुभाग अधिकारी, महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर।
10. रक्षित पत्रावली।

उप कुलसचिव(संस्था)

प्रबन्ध मण्डल की 20 वीं बैठक दिनांक 18–10–2012 का कार्यवाही विवरण

विश्वविद्यालय प्रबन्ध मण्डल की 20 वीं बैठक दिनांक 18–10–2012 को प्रातः 11:30 बजे कुलपति सचिवालय में माननीय कुलपति महोदय की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्यगण उपस्थित हुए :–

1. प्रो. गंगा राम जाखड़ – अध्यक्ष
2. प्रो. एल. एन. गुप्ता – सदस्य
   (कुलाधिपति द्वारा नामनिर्देशित शिक्षाविद्)
3. प्रो. रविन्द्र शर्मा – सदस्य
   (कुलाधिपति द्वारा नामनिर्देशित शिक्षाविद्)
4. डॉ. के.एस. यादव – सदस्य
   (राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित शिक्षाविद्)
5. प्रो. आर.एन.शर्मा – सदस्य
   (राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित शिक्षाविद)
6. श्री देदाराम – सदस्य
   (राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित राजकीय महाविद्यालय प्राचार्य)
7. डॉ. विमलेन्दु तायल – सदस्य
   (राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित निजी महाविद्यालय प्राचार्य)
8. श्री एच.आर. इसरान – सदस्य
   (कुलपति द्वारा नामनिर्देशित संकायाध्यक्ष)
9. प्रो. एम.एम. सक्सेना – सदस्य
   (कुलपति द्वारा नामनिर्देशित संकायाध्यक्ष)
10. प्रो. एस.के. भनोत
    (कुलपति द्वारा नामनिर्देशित विश्वविद्यालय आचार्य)
11. प्रो. सुरेश कुमार अग्रवाल – सदस्य
    (कुलपति द्वारा नामनिर्देशित विश्वविद्यालय आचार्य)
12. श्री राजीव कुमार भाकल – सदस्य सचिव

बैठक के प्रारम्भ में प्रबन्ध मण्डल में नव–मनोनीत सदस्य श्री देदाराम, डॉ. विमलेन्दु तायल प्रो. एस.के. भनोत, प्रो. सुरेश कुमार अग्रवाल एवं सदस्य सचिव श्री राजीव कुमार भाकल सहित सभी उपस्थित सदस्यों का कुलपति महोदय द्वारा स्वागत किया गया। डॉ. (श्रीमती) परमनवदीप सिंह, विधायक संगरिया, श्री दौलत राज समेजा, विधायक रायसिंहनगर, का प्रबन्ध मण्डल में पुनः मनोनयन होने पर प्रबन्ध मण्डल द्वारा प्रसन्नता व्यक्त की गई। माननीय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से बैठक की बिन्दुवार कार्यवाही प्रारम्भ की गई। बैठक में प्रस्तुत बिन्दुओं पर विचार–विमर्श उपरान्त लिये गए निर्णयों का विवरण निम्नानुसार है :–

एजेण्डा बिन्दु सं. : मगंसिविबी/बोम–20/2012/232
प्रबन्ध मण्डल की 19 वीं बैठक की कार्यवाही विवरण के अनुमोदन का प्रस्ताव :–

विश्वविद्यालय प्रबन्ध मण्डल की 19 वीं बैठक दिनांक 21–07–2012 के कार्यवाही विवरण प्रबन्ध मण्डल के सदस्यों को पूर्व में भेजे जा चुके हैं। कार्यवाही विवरण की प्रति पुनः संलग्न कर विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

संलग्न : कार्यवाही विवरण

निर्णय :– प्रबन्ध मण्डल की 19 वीं बैठक दिनांक 21–07–2012 के कार्यवाही विवरण में निम्नलिखित बिन्दुओं का समावेश करते हुए कार्यवाही विवरण का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया :–

(1) विनिर्णय संख्या 218 के निर्णय में 5 वीं पंक्ति में गैर अनुदानित महाविद्यालयों के पश्चात अन्य संस्थान शब्द का उल्लेख करना।
(2) विचार–विमर्श के दौरान प्रो. सुरेश कुमार अग्रवाल स्वयं से संबंधित बिन्दु होने के कारण माननीय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से उपरोक्त बिन्दु पर विचार के समय सदन से बाहर रहने का उल्लेख करना।

एजेण्डा बिन्दु सं. : मगंसिविबी/बोम–20/2012/233
प्रबन्ध मण्डल की 19 वीं बैठक दिनांक 21–07–2012 में लिये गये निर्णयों की पालना रिपोर्ट के अनुमोदन का प्रस्ताव :–

प्रबन्ध मण्डल की 19 वीं बैठक में लिये गए निर्णयों की पालना रिपोर्ट प्रबन्ध मण्डल के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

संलग्न – पालना प्रतिवेदन

निर्णय :– प्रबन्ध मण्डल की 19 वीं बैठक दिनांक 21–07–2012 लिये गए निर्णयों की पालना रिपोर्ट में विनिर्णय संख्या 218 में उल्लेखित राज्य सरकार के पत्र क्रमांक प.8(1) शिक्षा–4/2011 दिनांक 3–1–2012 में अंकित संस्थाओं (Institution) में सम्मिलित संस्थानों को परिभाषित कराने हेतु राज्य सरकार को पुनः लिखने के निर्णय के साथ पालना रिपोर्ट का प्रबन्ध मण्डल द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।

एजेण्डा बिन्दु सं. : मगंसिविबी/बोम–20/2012/234
विद्या परिषद् की 11 वीं बैठक दिनांक 06–10–2012 के कार्यवाही विवरण के अनुमोदन का प्रस्ताव

विद्या परिषद् की बैठक दिनांक 06–10–2012 का कार्यवाही विवरण प्रबन्ध मण्डल के समक्ष अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

संलग्न : विद्या परिषद् बैठक का कार्यवाही विवरण ।

निर्णय :– प्रबन्ध मण्डल द्वारा विद्या परिषद की 11 वीं बैठक दिनांक 06–10–2012 के कार्यवाही विवरण का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया। माननीय अध्यक्ष महोदय ने सदन को अवगत करवाया कि विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षा वर्ष 2009 एवं 2010 की जांच का कार्य पूर्ण होने के पश्चात् उपरोक्त संख्या में उपाधि मुद्रण का कार्य शुरू किया जाना है। वर्ष 2011 में सफल परीक्षार्थियों की संख्या के संबंध में अवगत कराया कि जांच का कार्य लम्बित होने के कारण उपाधियों की संख्या में मामूली अन्तर आ सकता है जिसकी सूचना माननीय सदस्यों को प्रदान कर दी जावेगी।

परीक्षा 2009, 2010 एवं 2011 में विभिन्न स्नातक एवं स्नातकोत्तर परीक्षाओं के अंतिम वर्ष में उत्तीर्ण छात्र–छात्राओं को उपाधि प्रदान करने एवं प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले परीक्षार्थियों को स्वर्ण पदक प्रदान करने के प्रस्ताव का प्रबन्ध मण्डल द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।

वर्ष 2009 से 31 दिसम्बर 2011 तक शोध कार्य सम्पन्न कर चुके 336 शोधार्थियों को शोध (पीएच.डी.) की उपाधियाँ प्रदान करने का अनुमोदन किया गया। प्रो. आर.एन. शर्मा एवं अन्य सभी सदस्यों ने उपाधि वितरण के कार्य में उल्लेखनीय प्रगति के लिए माननीय कुलपति महोदय एवं विश्वविद्यालय प्रशासन को बधाई दी। माननीय कुलपति महोदय ने उपाधि वितरण सहित विश्वविद्यालय के सभी कार्यकलापों में प्रबन्ध मण्डल सदस्यों के सकारात्मक योगदान के लिए आभार व्यक्त किया।

एजेण्डा बिन्दु सं. : मगंसिविबी / बोम–20 / 2012 / 235

विश्वविद्यालय में कनिष्ठ लिपिक के पदों पर की गई नियुक्तियों के सम्बन्ध में सूचना

राज्य सरकार से स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त विश्वविद्यालय द्वारा विज्ञापन संख्या 04/2011 द्वारा जारी कर कनिष्ठ लिपिक के 33 पदों पर चयन हेतु आवेदन आमंत्रित किये गये। निर्धारित अवधि में कनिष्ठ लिपिक पद हेतु 1932 आवेदन पत्र प्राप्त हुए। प्राप्त 1932 आवेदकों की दिनांक 25–03–2012 को लिखित परीक्षा आयोजित करवाई गई। लिखित परीक्षा में सफल एवं पात्र 103 अभ्यर्थियों को श्रेणीवार वरियता क्रम में दिनांक 29–07–2012 को कम्प्यूटर टाईप टेस्ट आयोजित करवाया गया। लिखित परीक्षा एवं कम्प्यूटर टाईप टेस्ट में प्राप्त अंको के आधार पर श्रेणीवार वरियता क्रम में कनिष्ठ लिपिक के 30 पदों पर विश्वविद्यालय आदेश क्रमांक प03(01)मगंसिविबी/ संस्था / 2012 / 7501–7539 दिनांक 09–08–2012 एवं प03(01)मगंसिविबी/ संस्था/ 2012 / 10651–59 दिनांक 10–09–2012 के द्वारा नियुक्ति प्रदान की गई। आदेशों दिनांक 09–08–2012 एवं 10–09–2012 की छायाप्रति संलग्न है। निर्धारित अवधि में 28 अभ्यर्थियों ने कनिष्ठ लिपिक के पद पर कार्यभार ग्रहण कर लिया। इनमें से एक अभ्यर्थी श्री गजेन्द्र बड़गूजर की नियुक्ति तृतीय श्रेणी शिक्षक के पद पर नियुक्ति होने के फलस्वरूप उनके द्वारा अपने पद से त्यागपत्र देने के कारण दिनांक 12–09–2012 को कनिष्ठ लिपिक का एक पद पुनः रिक्त हो गया।

आदेश दिनांक 09–08–2012 के क्रम संख्या 01 एवं 05 पर अंकित अभ्यर्थी श्री भरत कुमार सेन एवं श्री हेमन्त कुमार व्यास द्वारा निर्धारित तिथि तक कार्यग्रहण नही करने के फलस्वरूप विश्वविद्यालय आदेश क्रमांक प03(01)मगंसिविबी/संस्था/2012/ 11346–57 दिनांक 24–09–2012 (छायाप्रति संलग्न) के द्वारा प्रतीक्षा सूची में से वरियता क्रम में दो सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को कनिष्ठ लिपिक के पद पर नियुक्ति प्रदान की गई। उक्त दोनों अभ्यर्थियों ने कार्यभार ग्रहण कर लिया है।

प्रबन्ध मण्डल के समक्ष सूचनार्थ प्रस्तुत है।

<u>निर्णय</u> :– उक्त नियुक्तियों के लिए प्रसन्नता व्यक्त करते हुए प्रबन्ध मण्डल सदस्यों द्वारा जानकारी Note की गई।

एजेण्डा बिन्दु सं. : मगंसिविबी/बोम–20/2012/236
प्रोबेशनर ट्रेनी द्वारा सेवा से त्यागपत्र प्रस्तुत करने पर एक माह नोटिस अवधि का वेतन एवं भत्ते विश्वविद्यालय कोष में जमा कराने से छूट प्रदान करने के सम्बन्ध में प्रस्ताव :–

विश्वविद्यालय आदेश क्रमांक प03(01)मगंसिविबी/संस्था/2012/ 7501–7539 दिनांक 09–08–2012 के द्वारा श्री गजेन्द्र सिंह बड़गूजर की कनिष्ठ लिपिक के पद पर की गई। श्री बड़गूजर द्वारा दिनांक 22–08–2012 को विश्वविद्यालय में कनिष्ठ लिपिक के पद पर कार्यभार ग्रहण किया। तत्पश्चात श्री बड़गूजर की नियुक्ति तृतीय श्रेणी शिक्षक के पद होने के फलस्वरूप उनके द्वारा दिनांक 11.09.2012 को कनिष्ठ लिपिक पद से त्यागपत्र प्रस्तुत किया गया। महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर के Condition of Service Rule 33 के अनुसार अस्थाई (परीविक्षा काल) कर्मचारी को एक माह की पूर्व सूचना दिए जाने पर विश्वविद्यालय से कार्यमुक्त किए जाने या नोटिस की अवधि में कमी रहने पर शेष अवधि का वेतन विश्वविद्यालय कोष में जमा कराने का प्रावधान निम्नानुसार है :–

Condition of Service etc. Rule 33 : Notice for termnation of service of a temporary employee

(1) Except as otherwise provided in sub rule (2), the service of a temporary employee shall be liable to termination at any time by notice in writing given either by the employee to the employee, or in the lieu of the notice period or the period falling short of notice, the pay and allowances for the same. The period of such notice shall be one month.

श्री बड़गूजर द्वारा विश्वविद्यालय में 21 दिन की सेवा की गई है तथा विश्वविद्यालय द्वारा उनकी 21 दिवस की सेवाओं का वेतन भुगतान नही किया गया है। एक माह से कम अवधि का नोटिस प्रदान करने के कारण श्री बड़गूजर ने शेष अवधि (09 दिन) का वेतन विश्वविद्यालय कोष में जमा कराने से छूट प्रदान करने का अनुरोध किया है। श्री बड़गूजर की विश्वविद्यालय में कुल सेवा अवधि 21 दिन है जिसका वेतन भुगतान नही किया गया है। उक्त प्ररिप्रेक्ष्य में नोटिस की शेष अवधि (09 दिन) के वेतन के समान राशि विश्वविद्यालय कोष में जमा कराने से छूट प्रदान करने के लिए प्रस्ताव प्रबन्ध मण्डल के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय :– प्रबन्ध मण्डल द्वारा निर्णय लिया गया कि एक माह से कम अवधि का नोटिस प्रदान करने के कारण श्री बड़गूजर को शेष अवधि (09 दिन) का वेतन विश्वविद्यालय कोष में जमा कराने के लिए लिखा जावे। साथ ही निर्णय लिया कि भविष्य में यदि किसी प्रोबेशनर ट्रेनी कर्मचारी की अन्यत्र नियुक्ति होने या अन्य कारण से विश्वविद्यालय सेवा से त्यागपत्र देने पर नियमित कर्मचारी के अनुसार तीन माह पूर्व लिखित में नोटिस देना अनिवार्य होगा अथवा नोटिस के स्थान पर तीन माह या नोटिस अवधि की शेष अवधि के वेतन भत्तों के समान राशि विश्वविद्यालय कोष में जमा करानी होगी।

एजेण्डा बिन्दु सं. : मगंसिविबी/बोम–20/2012/237
विश्वविद्यालय के अशैक्षणिक अधिकारियों/कर्मचारियों के आकस्मिक अवकाश का संधारण शैक्षणिक वर्ष के स्थान पर कलेण्डर वर्ष (जनवरी–दिसम्बर) के अनुसार करने के सम्बन्ध में प्रस्ताव

वर्तमान में विश्वविद्यालय में पदस्थापित अशैक्षणिक वर्ग के अधिकारियों/ कर्मचारियों को देय आकस्मिक/क्षतिपूर्ति अवकाश लेखों का संधारण शैक्षणिक सत्र (जुलाई से जून) के अनुसार किया जा रहा है। अशैक्षणिक कर्मचारियों/अधिकारियों को राज्य कर्मचारियों के समान आकस्मिक/क्षतिपूति अवकाश का लाभ कलेण्डर वर्ष के अनुसार प्रदान किया जाना उचित है। उल्लेखनीय है कि विश्वविद्यालय में कुलसचिव, वित्त नियंत्रक, लेखाधिकारी, कनिष्ठ लेखाकार आदि पदों पर राज्य सरकार द्वारा प्रतिनियुक्ति पर पदस्थापित किये जाते हैं जिनके आकस्मिक/क्षतिपूर्ति अवकाश लेखों का संधारण कलेण्डर वर्ष के अनुसार ही किया जाता है।

अतः विश्वविद्यालय में पदस्थापित/प्रतिनियुक्त समस्त अशैक्षणिक वर्ग के अधिकारियों/कर्मचारियों को देय आकस्मिक/क्षतिपूर्ति अवकाश का संधारण राज्य सरकार के अनुसार कलेण्डर वर्ष (जनवरी से दिसम्बर) करने हेतु प्रस्ताव प्रबन्ध मण्डल के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय :– विचार–विमर्श उपरान्त विश्वविद्यालय के समस्त अशैक्षणिक अधिकारियों/कर्मचारियों एवं प्रतिनियुक्ति पर पदस्थापित अधिकारियों/ कर्मचारियों को देय आकस्मिक/क्षतिपूर्ति अवकाश के लेखों का संधारण राज्य सरकार के अनुसार कलेण्डर वर्ष (जनवरी से दिसम्बर) से करने के प्रस्ताव का प्रबन्ध मण्डल द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।

एजेण्डा बिन्दु सं. : मगंसिविबी/बोम–20/2012/238

प्रयोगशाला सहायक एवं तकनीकी सहायकों को वैकेशनल स्टॉफ के समान अवकाश की देयता निर्धारण के सम्बन्ध में प्रस्ताव

विश्वविद्यालय द्वारा अप्रेल, 2012 में 04 प्रयोगशाला सहायक एवं 06 तकनीकी सहायक की नियुक्ति की गई। विश्वविद्यालय में प्रयोगशाला सहायक एवं तकनीकी सहायकों को देय अवकाशों के सम्बन्ध में स्पष्ट नियम नही है। म.द.स. विश्वविद्यालय, अजमेर के कार्यालय आदेश क्रमांक 652 दिनांक 30–01–2002 के अनुसार प्रयोगशाला सहायकों को अवकाश भोगी कर्मचारी घोषित किया गया है तथा उन्हें शैक्षिक कार्मिकों के अनुसार ही अवकाश देय हैं।

अतः विश्वविद्यालय में पदस्थापित प्रयोगशाला सहायक एवं तकनीकी सहायकों को अवकाश भोगी कर्मचारी घोषित करते हुए वैकेशनल स्टॉफ के अनुसार अवकाश की देयता निर्धारण करने हेतु प्रस्ताव प्रबन्ध मण्डल के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय :– उपरोक्त प्रस्ताव पर प्रबन्ध मण्डल द्वारा व्यापक विचार–विमर्श पश्चात प्रयोगशाला सहायक, तकनीकी सहायक एवं प्रयोगशाला प्रेष्य को वैकेशनल स्टॉफ के समान अवकाश की देयता का निर्धारण करने के संबंध में रिपोर्ट/अनुशंसा प्रस्तुत करने हेतु प्रो. एम.एम. सक्सेना, डॉ. विमलेन्दु तायल एवं कुलसचिव की तीन सदस्यीय समिति गठित करने का निर्णय लिया गया। उक्त समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट/अनुशंसा प्रबन्ध मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी।

एजेण्डा बिन्दु सं. : मगंसिविबी/बोम–20/2012/239

सह आचार्य एवं सहायक आचार्य कम्प्यूटर विज्ञान विभाग में दो–दो पदों पर नियुक्ति हेतु चयन समितियों द्वारा प्रस्तुत अनुशंसा के सम्बन्ध में प्रस्ताव

राज्य सरकार के पत्र क्रमांक प.14(13)शि–4/07 दिनांक 23–03–2010 के द्वारा सह आचार्य एवं सहायक आचार्य, कम्प्यूटर विज्ञान विभाग में दो–दों पदों को नियमित चयन प्रक्रिया के द्वारा सीधी भर्ती से भरने की स्वीकृति की अनुपालना में विज्ञापन क्रमांक 02/2011(संस्था) एवं संशोधित विज्ञप्ति दिनांक 08/08/2012 जारी कर आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए। सह आचार्य (कम्प्यूटर विज्ञान विभाग) एवं सहायक आचार्य (कम्प्यूटर विज्ञान विभाग) के दो–दो पदों के लिए पात्र पाये गए क्रमशः 09 एवं 06 अभ्यर्थियों को दिनांक 11–10–2012 को साक्षात्कार लिया जाना है। चयन समिति की अनुशंसा सीलबंद लिफाफों में प्रबन्ध मण्डल के समक्ष बैठक के दौरान प्रस्तुत की जाएगी।

विचार–विमर्श :– सह आचार्य एवं सहायक आचार्य, कम्प्यूटर विज्ञान के दो–दो पदों हेतु साक्षात्कार के लिए आमंत्रित अभ्यर्थियों का व्यक्तिगत विवरण (योग्यता एवं अनुभव) एवं विज्ञापन सदन में प्रस्तुत किया गया। इसके पश्चात चयन समितियों की अनुशंसाओं को अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया।

निर्णय :– सह आचार्य एवं सहायक आचार्य, कम्प्यूटर विज्ञान के दो–दो पदों पर नियुक्ति हेतु गठित चयन समितियों द्वारा प्रस्तुत अनुशंसा माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा प्रबन्ध मण्डल के समक्ष रखी गई। चयन समिति द्वारा सहायक आचार्य, कम्प्यूटर विज्ञान पद पर श्री सरुेश कुमार शर्मा एवं सुश्री मनीषा जैलिया के चयन सम्बंधी प्रस्तुत अनुशंसा का प्रबन्ध मण्डल द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन करते हुए तद्नुसार उक्त पदों पर चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति का निर्णय लिया। सह आचार्य–कम्प्यूटर विज्ञान के दो पदों हेतु साक्षात्कार में उपस्थित अभ्यर्थियों में से कोई भी अभ्यर्थी चयन समिति द्वारा उपयुक्त नहीं पाया गया।

एजेण्डा बिन्दु सं. : मगंसिविबी/बोम–20/2012/240

सहायक निदेशक (शारीरिक शिक्षा) के एक पद पर नियुक्ति हेतु चयन समिति द्वारा प्रस्तुत अनुशंसा के सम्बन्ध में प्रस्ताव

राज्य सरकार के पत्र क्रमांक प.20(02)शिक्षा–4/2007 जयपुर दिनांक 06–06–2012 के द्वारा स्वीकृत सहायक निदेशक (शारीरिक शिक्षा) के एक पद को नियमित चयन प्रक्रिया के द्वारा सीधी भर्ती से भरने हेतु विज्ञापन क्रमांक 01/2012(संस्था) दिनांक 08–08–2012 जारी कर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा सहायक निदेशक (शारीरिक शिक्षा) के लिए निर्धारित योग्यता के अनुसार आवेदन प आमंत्रित किए गए। निर्धारित तिथि तक उक्त पद हेतु 59 आवेदन पत्र प्राप्त हुए। प्राप्त आवेदन पत्रा की पात्रता की जांच उपरांत पात्र पाये गए 32 अभ्यर्थियों का दिनांक 15–10–2012 को प्रातः 08:00 बजे Physical Fitness Test एवं तत्पश्चात उक्त टेस्ट में सफल अभ्यर्थियों का प्रातः 11:00 बजे साक्षात्कार का आयोजन किया जाना हैं।

उक्त पद पर नियुक्ति के लिए चयन समिति द्वारा प्रस्तुत अनुशंसा सीलबंद लिफाफे प्रबन्ध मण्डल के समक्ष बैठक के दौरान प्रस्तुत की जाएगी।

विचार–विमर्श :– विचार–विमर्श के दौरान अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि सहायक निदेशक (शारीरिक शिक्षा) के पद हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित योग्यता के अनुसार ही कुलपति महोदय के अनुमोदन पश्चात् आवेदन प्राप्त कर तथा तद्नुसार पात्र अभ्यर्थियों को Physical Fitness Test व साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया गया था। अतः विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित योग्यताओं को विश्वविद्यालय अधिग्रहीत(Adopt) किया जाना वांछित है। प्रबन्ध मण्डल द्वारा अध्यक्ष महोदय के प्रस्ताव का अनुमोदन करने पर सहायक निदेशक (शारीरिक शिक्षा) के एक पद हेतु साक्षात्कार के लिए आमंत्रित अभ्यर्थियों का व्यक्तिगत विवरंण (योग्यता एवं अनुभव) एवं विज्ञापन सदन में प्रस्तुत किया गया। इसके पश्चात चयन समिति की अनुशंसा को अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया।

निर्णय :– सहायक निदेशक (शारीरिक शिक्षा) के एक पद पर नियुक्ति हेतु गठित चय समिति द्वारा प्रस्तुत अनुशंसा माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा प्रबन्ध मण्डल के समक्ष रखी गई। चयन समिति द्वारा सहायक निदेशक (शारीरिक शिक्षा) के एक पद पर डॉ. यशवंत कुमार गहलोत के चयन सम्बंधी प्रस्तुत अनुशंसा का प्रबन्ध मण्डल द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन करते हुए तद्नुसार उक्त पद पर चयनित अभ्यर्थी को नियुक्ति प्रदान करने का निर्णय लिया।

एजेण्डा बिन्दु सं. : मगंसिविबी/बोम–20/2012/241

विश्वविद्यालय में अनुभाग अधिकारी, कार्यालय सहायक एवं वरिष्ठ लिपिक पदों पर की गई पदोन्नति की सूचना प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में प्रस्ताव

1. अनुभाग अधिकारी :– प्रबन्ध मण्डल के विनिर्णय सं.189(1) की पालना में विश्वविद्यालय आदेश क्रमांक प.03(55)मंगसिविबी/संस्था/ 2012/6532 दिनांक 27–07–2012 के द्वारा गठित विभागीय चयन समिति के द्वारा प्रस्तुत अनुशंसा को माननीय कुलपति महोदय की स्वीकृति उपरान्त कार्यालय सहायक पद पर कार्यरत 03 कार्मिक (श्री बृजमोहन पंचारिया, श्री ताराचंद एवं श्री अरविन्द कुमार व्यास) को विश्वविद्यालय आदेश क्रमांक प.03(55)मंगसिविबी/संस्था/ 2012/ 7347 दिनांक 08–08–2012 के द्वारा कार्यालय सहायक पद से अनुभाग अधिकारी पद पर पदोन्नति प्रदान की गई।

2. कार्यालय सहायक :–विश्वविद्यालय में कार्यालय सहायक के उपलब्ध चार रिक्त पदों पर पदोन्नति हेतु आदेश क्रमांक प.03(55)मंगसिविबी/ संस्था/2012/6532 दिनांक 27–07–2012 के द्वारा गठित विभागीय चयन समिति द्वारा प्रस्तुत अनुशंसा को माननीय कुलपति महोदय की स्वीकृति उपरान्त वरिष्ठ लिपिक पद पर कार्यरत 04 कार्मिकों (श्री मुकेश पुरोहित, श्री रजत भटनागर, श्री प्रकाश कुमावत एवं श्री गजराज शर्मा) को विश्वविद्यालय आदेश क्रमांक प.03(55)मंगसिविबी/ संस्था/2012/9003 दिनांक 14–08–2012 के द्वारा वरिष्ठ लिपिक पद से कार्यालय सहायक पद पर पदोन्नति प्रदान की गई।

3. वरिष्ठ लिपिक : विश्वविद्यालय आदेश क्रमांक प.03(55)मंगसिविबी/ संस्था/2012/6532 दिनांक 27–07–2012 के द्वारा गठित विभागीय चयन समिति द्वारा प्रस्तुत अनुशंसा को माननीय कुलपति महोदय की स्वीकृति उपरान्त कनिष्ठ लिपिक पद पर कार्यरत 02 पात्र कार्मिकों (श्री कमल चंद जैन एवं श्री तुलबहादुर थापा) को विश्वविद्यालय आदेश क्रमांक प. 03(55)मंगसिविबी/संस्था/2012/1146 दिनांक 18–09–2012 के द्वारा कनिष्ठ लिपिक पद से वरिष्ठ लिपिक पद पर पदोन्नति प्रदान की गई।

प्रबन्ध मण्डल के समक्ष सूचनार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय :– उक्त पदोन्नतियों के लिए प्रबन्ध मण्डल द्वारा प्रसन्नता व्यक्त करते हुए जानकारी **Note** की गई।

एजेण्डा बिन्दु सं. : मगंसिविबी/बोम–20/2012/242

जे. बी. शिक्षक–प्रशिक्षण महाविद्यालय, सादुलशहर पर आरोपित शास्ति एवं सम्बद्धता समाप्त करने की कार्यवाही प्रारम्भ करने के सम्बन्ध में प्रस्ताव

जे. बी. शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, सादुलशहर की महाविद्यालय संचालन में व्याप्त अनियमितता के संबंध में शिकायत प्राप्त होने पर विश्वविद्यालय द्वारा निरीक्षक नियुक्त कर महाविद्यालय के सम्बन्ध में प्राप्त शिकायतों की जांच करवाई गई। निरीक्षण दल द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार स्टॉफ एवं छात्रों की पृथक–पृथक उपस्थिति पंजिका का संधारण तथा महाविद्यालय संचालन में अन्य अनेक अनियमितताएं पाई गई हैं। उक्त अनियमितताओं के सम्बन्ध में सात दिवस में स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु विश्वविद्यालय पत्र क्रमांक प.07(231)मगंसिविबी/शैक्ष./2012/ 5433–35 दिनांक 11–07–2012 के महाविद्यालय को निर्देशित किया गया। महाविद्यालय द्वारा दिनांक 18–07–2012 को प्रस्तुत स्पष्टीकरण तथ्यात्मक एवं संतोषप्रद नही होने के कारण विश्वविद्यालय द्वारा निरीक्षक दल से प्राप्त जांच रिपोर्ट एवं महाविद्यालय द्वारा प्रेषित स्पष्टीकरण के आंकलन के लिए अधिष्ठाताओं की तीन सदस्यीय समिति का गठन किया गया। महाविद्यालय द्वारा फर्जी/कूटरचित रिकार्ड संधारित कर

विश्वविद्यालय को गुमराह करने एवं महाविद्यालय द्वारा लगातार नियमों की अवहेलना करने को ध्यान में रखते हुए उक्त समिति द्वारा महाविद्यालय में सत्र 2011–12 में प्रवेशित छात्रों से प्राप्त शुल्क की पचास प्रतिशत राशि की शास्ति आरोपित करते हुए महाविद्यालय की विश्वविद्यालय से सम्बद्धता समाप्त करने की कार्यवाही प्रारम्भ करने की अनुशंसा की गई।

विश्वविद्यालय पत्र क्रमांक एफ.07(231)मगंसिविबी/शैक्ष./2012/10607–08 दिनांक 10–09–2012 के द्वारा उपरोक्त कार्यवाही से महाविद्यालय को अवगत करवाते हुए इस संदर्भ में कोई जवाब/स्पष्टीकरण 15 दिवस में प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। महाविद्यालय द्वारा पत्र प्रेषित कर आरोपित शास्ति जमा कराने में असमर्थता व्यक्त करते हुए महाविद्यालय को एक बार शिक्षा का प्रसार करने का अवसर प्रदान करने अनुरोध किया है।

सम्पूर्ण प्रकरण प्रबन्ध मण्डल के समक्ष अवलोकनार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

विचार विमर्श : माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा जे. बी. शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, सादुलशहर में व्याप्त अनियमितताओं के संबंध में सदन को अवगत करवाया गया।

निर्णय :– महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय को गलत सूचना प्रस्तुत करने, रिकार्ड में हेराफेरी करने एवं अन्य व्याप्त अनियमिताओं के लिए महाविद्यालय को दोषी मानते हु विश्वविद्यालय द्वारा गठित तीन अधिष्ठाता सदस्यों की समिति द्वारा प्रस्तुत अनुशंसा का प्रबन्ध मण्डल द्वारा स्वीकार करते हुए महाविद्यालय को सत्र 2011–12 में प्रवेशित छात्र संख्या से प्राप्त प्रवेश व अन्य शुल्क की ~~कुल~~ राशि का 50 प्रतिशत आर्थिक शास्ति आरोपित करने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया। साथ ही यह नोटिस जारी करने का निर्णय लिया गया कि भविष्य में महाविद्यालय के विरूद्व शिकायत प्राप्त होने व उसकी सत्यता प्रमाणित होने पर सम्बद्वता समाप्त करने की तत्काल कार्यवाही की जाएगी।

एजेण्डा बिन्दू: मगसिंविबी/बोम–20/2012/243

सम्बद्धता प्राप्त महाविद्यालयों में आधारभूत सुविधाओं हेतु

विश्वविद्यालय प्रबंध मण्डल द्वारा बीकानेर संभाग में उच्च शिक्षा में गुणवत्ता बनाये रखने हेतु कुछ नीतिगत परिवर्तन किये गये हैं। इन नीतिगत परिवर्तनों के तहत वर्तमान में प्रबंध मण्डल द्वारा योग्यताधारी व्याख्याता न रखने एवं पर्याप्त मात्रा में एण्डोमेन्ट फण्ड राशि का निर्माण न करने के कार शास्ति आरोपित करने का निर्णय लिया हुआ है।

लेकिन महाविद्यालय के संचालन हेतु आधारभूत सुविधाएं यथा मानदण्डानुसार भूमि, भवन, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, योग्यताधारी प्राचार्य, विद्यार्थी सुविधाएं, शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक स्टॉफ को देय वेतन–भत्ते, खेलकूद सुविधाएं भी आवश्यक है। इन सुविधाओं की पूर्ति नहीं होने पर महाविद्यालय के विरूद्व की जाने वाली कार्यवाही के संबंध में अभी तक कोई नीतिगत निर्णय नहीं लिया गया है।

इस संबंध में नीतिगत निर्णय हेतु प्रस्ताव प्रबन्ध मण्डल के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय :– प्रबन्ध मण्डल द्वारा प्रस्ताव पर विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त सम्बद्धता प्राप्त महाविद्यालयों में शिक्षा की गुणवता सुधार हेतु निम्नानुसार निर्णय लिये गए :–

(1) भूमि/भवन :– विश्वविद्यालय द्वारा महाविद्यालय को स्वयं के भवन निर्माण के लिए प्रथम वर्ष सशर्त सम्बद्धता प्रदान करने के साथ–साथ तीन वर्ष की अवधि में भवन निर्माण करने हेतु निर्देशित किया जावें।

साथ ही पूर्व में सम्बद्धता प्राप्त जिन महाविद्यालयों के पास स्वयं की भूमि एवं भवन नहीं हैं ऐसे महाविद्यालयों पर निम्नानुसार शास्ति आरोपित करने का निर्णय लिया गया –

(1) जिन महाविद्यालयों को सम्बद्धता प्रदान किये 3 वर्ष या अधिक अवधि (6 वर्ष से कम) हो गई – 2.00 लाख रूपये।
(2) जिन महाविद्यालयों को सम्बद्धता प्रदान किये 6 वर्ष या अधिक अवधि (8 वर्ष से कम) हो गई – 3.00 लाख रूपये।
(3) जिन महाविद्यालयों को सम्बद्धता प्रदान किये 8 वर्ष या अधिक अवधि हो गई – 5.00 लाख रूपये।

यह निर्णय तत्काल प्रभाव से लागू माना जायेगा।

उपरोक्तानुसार शास्ति आरोपण के साथ ही आगामी एक वर्ष में महाविद्यालय को निर्धारित मापदण्डानुसार भवन निर्माण हेतु निर्देशित करने का निर्णय लिया गया।

शास्ति आरोपण के उपरान्त भी जिन महाविद्यालयों द्वारा एक वर्ष की अवधि में स्वयं की भूमि पर भवन निर्मित नहीं किया जाता है तो उन महाविद्यालयों के विरूद्व कार्यवाही हेतु प्रकरण प्रबन्ध मण्डल के समक्ष प्रस्तुत किये जाएंगे।

(2) योग्यताधारी प्राचार्य :– सम्बद्वता प्राप्त समस्त महाविद्यालयों को 31 दिसम्बर, 2012 तक योग्यताधारी प्राचार्यो की नियुक्ति करने हेतु निर्देशित करने का निर्णय लिया गया। 31–12–2012 तक योग्यताधारी प्राचार्य की नियुक्ति नही करने पर महाविद्यालय पर रू.1.00 लाख की शास्ति तथा 30 जून, 2013 तक भी नियुक्ति नही करने पर रू. 2.00 लाख की शास्ति आरोपित करने का निर्णय लिया गया। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि महाविद्यालयों को निर्देशित किया जावे कि निर्धारित चयन प्रक्रिया से योग्यताधारी प्राचार्य/शिक्षकों की नियुक्ति कर यथाशीघ्र विश्वविद्यालय से अनुमोदन करावें। महाविद्यालय में नियुक्त एवं विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित शिक्षकों की सेवाओं को विश्वविद्यालय की पूर्व अनुमति के बिना समाप्त नहीं किया जा सकेगा। महाविद्यालय प्रबन्धन अथवा प्राचार्य/शिक्षक द्वारा सेवा समाप्ति से पूर्व 3 माह की अवधि का लिखित में नोटिस देना अनिवार्य होगा।

(3) अन्य सुविधाएं – समस्त सम्बद्वता प्राप्त महाविद्यालय को निर्धारित मापदण्डानुसार पुस्तकालय, लैब, खेलकूद मैदान एवं लेखों का संधारण आदि की व्यवस्था को 30 जून, 2013 तक पूर्ण करने हेतु निर्देशित कया जावें।

7

एजेण्डा बिन्दु संख्या : मगंसिविबी/बोम–20/2012/244

श्री राघव पुरोहित की निजी सचिव–कुलपति पद पर नियुक्ति के सम्बन्ध में प्रबन्ध मण्डल द्वारा गठित प्रबन्ध मण्डल के सदस्यों की समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के सम्बन्ध में प्रस्ताव :–

प्रबन्ध मण्डल की बैठक दिनांक 21–07–2012 के विनिर्णिय संख्या 217 की पालना में श्री राघव पुरोहित की निजी सचिव–कुलपति को उनकी नियुक्ति के संबंध में व्यक्तिशः सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए उनके द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले डॉक्यूमेंटस/तथ्य/बयानों के परीक्षण उपरान्त अनुशंसा/रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु विश्वविद्यालय आदेश क्रमांक प.03(10)/ मगंसिविबी/संस्था/2012/9309–15 दिनांक 21–08–2012 के द्वारा निम्नानुसार तीन सदस्यीय समिति का गठन किया गया था :–

1. प्रो. एल.एन. गुप्ता– संयोजक
2. प्रो. आर.एन. शर्मा–सदस्य
3. प्रो. एम.एम. सक्सेना–सदस्य

उपरोक्त समिति की दिनांक 17–09–2012 को कुलपति सचिवालय, महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय में बैठक आयोजित की गई। समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट प्रबन्ध मण्डल के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।
संलग्न – रिपोर्ट

<u>निर्णय</u> :– समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अध्यक्ष महोदय द्वारा प्रबन्ध मण्डल बैठक के दौरान प्रस्तुत की गई। उपस्थिति सदस्यों का मत था कि रिपोर्ट में दर्शाये सभी परिशिष्टों को रिपोट्र के साथ संलग्न आगामी बैठक के एजेण्डा बिन्दु के साथ भेजी जावें ताकि अवलोकन करने के उपरान्त उचित निर्णय लिया जा सके। अध्यक्ष महोदय द्वारा उक्त सुझाव को स्वीकार करने के फलस्वरूप प्रस्ताव प्रबन्ध मण्डल की आगामी बैठक में प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा बिन्दु संख्या : मगंसिविबी/बोम–19/2012/245

वर्ष 2005–06 में उपाधि मुद्रण पर हुए व्यय के अपलेखन/ दायित्व निर्धारण/वसूली के संबंध में प्रस्ताव

प्रबन्ध मण्डल की बैठक दिनांक 21–07–2012 के विनिर्णिय संख्या 224 की पालना में वर्ष 2005–06 में मुद्रित करवाई गई उपाधियों का वर्तमान समय में कोई उपयोग नही होने के कारण प्रबन्ध मण्डल द्वारा उपाधि मुद्रण में हुए व्यय राशि रू. 14.32 लाख को निष्फल व्यय माना गया। उक्त निष्फल व्यय का अपलेखन करने से पूर्व रिकार्ड का अवलोकन कर आवश्यक होने पर संबंधित व्यक्ति/व्यक्तियों को व्यक्तिशः सुनकर वसूली/ दायित्व निर्धारण करने के संबंध में कार्यवाही प्रस्तावित करने हेतु प्रबन्ध मण्डल के निर्णयानुसार विश्वविद्यालय आदेश क्रमांक प.03(10)/मगंसिविबी/संस्था/2012/11072–79 दिनांक 14–09–2012 के द्वारा निम्नानुसार तीन सदस्यीय समिति गठित की गई थी :–

1. प्रो. आर.एन. शर्मा – संयोजक
2. डॉ. के.एस. यादव – सदस्य
3. श्री एच.आर. इसरान – सदस्य

उपरोक्त समिति की दिनांक 17–09–2012, 28–09–2012 एवं 17–10–2012 को कुलपति सचिवालय, महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय में बैठक आयोजित की गई। समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट/अनुशंसा प्रबन्ध मण्डल के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।
संलग्न – रिपोर्ट

निर्णय :– समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अध्यक्ष महोदय द्वारा प्रबन्ध मण्डल बैठक के दौरान प्रस्तुत की गई। उपस्थिति सदस्यों का मत था कि रिपोर्ट में दर्शाये सभी परिशिष्टों को रिपोर्ट के साथ संलग्न आगामी बैठक के एजेण्डा बिन्दु के साथ भेजी जावें ताकि अवलोकन करने के उपरान्त उचित निर्णय लिया जा सके। अध्यक्ष महोदय द्वारा उक्त सुझाव को स्वीकार करने के फलस्वरूप प्रस्ताव प्रबन्ध मण्डल की आगामी बैठक में प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा बिन्दु संख्या : मगंसिविबी/बोम–19/2012/246

विश्वविद्यालय में नियमित रूप से कार्यरत कार्मिकों एवं उनके आश्रितों को विश्वविद्यालय परिसर में चल रहे पाठ्यक्रमों में शुल्क व परीक्षा शुल्क में छूट प्रदान करने एवं शिक्षण शुल्क के पुनर्भरण करने के सम्बन्ध में प्रस्ताव

प्रबन्ध मण्डल की 17 वीं बैठक दिनांक 17–12–2011 के एजेण्डा बिन्दु संख्या 189 (iii) पर विचार–विमर्श के दौरान विश्वविद्यालय में नियमित रूप से कार्यरत कार्मिक एवं उनके आश्रितों को विश्वविद्यालय में चल रहे पाठ्यक्रमों में परीक्षा शुल्क, अन्य देय शुल्क एवं स्ववित्तपोषी पाठ्यक्रमों के भुगतान से छूट प्रदान करने के सम्बन्ध में प्रबन्ध मण्डल द्वारा निर्णय लिया गया कि अन्य विश्वविद्यालयों में प्रचलित नियमों का विश्लेषण कर प्रस्ताव प्रबन्ध मण्डल की आगामी बैठक में रखा जावें। महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर द्वारा जारी कार्यालय आदेश क्रमांक 18763–821 दिनांक 10–09–2007(छायाप्रति संलग्न) के अनुसार ''सहायक कर्मचारी से अनुभाग अधिकारी स्तर तक के कार्मिकों के आश्रितों को देय शिक्षण शुल्क के पुनर्भरण की राशि रूपये 200/– (रूपये दौ सौ मात्र) अथवा वास्तविक शुल्क जो भी कम हो, के पुनर्भरण किए जाने की स्वीकृति तथा विश्वविद्यालय परिसर में संचालित सभी पाठ्यक्रमों में विश्वविद्यालय के शिक्षक, अधिकारी और कर्मचारियों के अध्ययन करने अथवा आश्रितों (पति, पत्नी, पुत्र और पुत्री) के नियमित प्रवेश लेकर अध्ययन करने पर उन्हें इन पाठ्यक्रमों में निःशुल्क शिक्षण की स्वीकृति प्रबन्ध बोर्ड के माध्यम से सक्षम स्वीकृत के अध्यधीन प्रदान की जाती है। ''

अतः म.द.स. विश्वविद्यालय, अजमेर द्वारा जारी कार्यालय आदेश के अनुसार महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर में ''सहायक कर्मचारी से अनुभाग अधिकारी स्तर तक के कार्मिकों के आश्रितों को शुल्क के पुनर्भरण की राशि रूपये 200/– (रूपये दौ सौ मात्र) प्रतिमाह अथवा वास्तविक शुल्क जो भी कम हो, के पुनर्भरण किए जाने की स्वीकृति तथा विश्वविद्यालय परिसर में संचालित पाठ्यक्रमों में विश्वविद्यालय के शिक्षक, अधिकारी और कर्मचारियों के अध्ययन करने अथवा आश्रितों (पति, पत्नी, पुत्र और पुत्री) के नियमित प्रवेश लेकर अध्ययन करने पर उन्हें इन पाठ्यक्रमों में निःशुल्क शिक्षण की स्वीकृति प्रदान करने हेतु प्रस्ताव प्रबन्ध मण्डल के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय :– प्रबन्ध मण्डल द्वारा विचार–विमर्श उपरान्त निम्नानुसार निर्णय लिये गये :–

(1) सहायक कर्मचारी से अनुभाग अधिकारी स्तर तक के कार्मिकों को उनके आश्रितों (पुत्र/पुत्री) की शिक्षण शुल्क भुगतान की रसीद प्रस्तुत करने पर 200/– रू. (रूपये दौ सौ मात्र) प्रतिमाह अथवा वास्तविक राशि जो भी कम हो, का पुनर्भरण किया जावें।

(2) सहायक कर्मचारी से अनुभाग अधिकारी स्तर तक के कार्मिकों को उनके आश्रितों (पुत्र/पुत्री) द्वारा विश्वविद्यालय परिसर में संचालित पाठ्यक्रमों (शोध के अतिरिक्त) में नियमित प्रवेश लेकर अध्ययन करने पर इन पाठ्यक्रमों हेतु देय शिक्षण शुल्क (ट्यूशन फीस) की छूट प्रदान की जावें।

एजेण्डा बिन्दु संख्या : मगंसिविबी/बोम–19/2012/247

विश्वविद्यालय में प्रबन्ध मण्डल एवं चयन समिति की बैठकों में उपस्थित होने वाले सदस्यों को देय टैक्सी किराया निर्धारण सम्बन्धी प्रस्ताव

प्रबन्ध मण्डल की 11 वीं बैठक दिनांक 23–04–2010 के निर्णय संख्या 116 की पालना में विश्वविद्यालय आदेश क्रमांक 4989–98 दिनांक 29–05–2010 के द्वारा निर्णयानुसार विश्वविद्यालय प्रबन्ध मण्डल एवं चयन समिति सदस्यों को स्वयं की कार/टैक्सी से यात्रा के लिए 6.50 रू. प्रति कि.मी. की दर निर्धारित की गई थी। वर्तमान में ईधन की दर में बढोत्तरी होने के कारण माननीय सदस्यों द्वारा दरों में बढोतरी की मांग की जा रही है।

अतः विश्वविद्यालय में प्रबन्ध मण्डल एवं चयन समिति बैठकों में उपस्थित होने वाले माननीय सदस्यों को स्वयं की कार/टैक्सी से यात्रा के लिए नवीन दर निर्धारित करने हेतु प्रस्ताव प्रबन्ध मण्डल के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है। ज्ञातव्य है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा चयन समिति सदस्यों को 8.00 रू. प्रति कि.मी. की दर से टैक्सी किराये का भुगतान किया जा रहा है।

निर्णय :– विचार–विमर्श उपरान्त प्रबन्ध मण्डल एवं चयन समिति बैठकों में उपस्थित होने वाले माननीय सदस्यों को स्वयं की कार/टैक्सी से यात्रा के लिए रू.8.00 कि.मी. प्रति दर अथवा वास्तविक किराया जो भी कम हो, का भुगतान करने का प्रबन्ध मण्डल द्वा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया।

एजेण्डा बिन्दु संख्या : मगंसिविबी/बोम–20/2012/248

कनिष्ठ लिपिक की पदोन्नति के कारण रिक्त हुए पदों पर कनिष्ठ लिपिक भर्त्ती परीक्षा, 2012 की प्रतीक्षा सूची में से अभ्यर्थियों की नियुक्ति के संबंध में प्रस्ताव

विश्वविद्यालय प्रबन्ध मण्डल की विशेष बैठक दिनांक 06–06–2011 के निर्णय संख्या 158 की पालना में जारी कार्यालय आदेश क्रमारंक प.03(03)मगंसिविबी/संस्था/ 2011/9689 दिनांक 29–06–2011 के अनुसार चयन समिति द्वारा पृथक से प्रस्तुत प्रतीक्षा सूचि छः माह तक वैध रहेगी। आदेश क्रमांक 11146–57 दिनांक 18–09–2011 के द्वारा दो कनिष्ठ लिपिकों की वरिष्ठ लिपिक पद पर पदोन्नति होने के कारण कनिष्ठ लिपिक के 02 पद रिक्त हो गये हैं। विश्वविद्यालय में वर्तमान में कोई भी सहायक कर्मचारी कार्यरत नहीं होने के कारण कनिष्ठ लिपिक पद पर आगामी कई वर्षो तक पदोन्नति हेतु अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए कनिष्ठ लिपिक के कुल स्वीकृत 37 पदों में से तत्समय रिक्त 33 पदों हेतु कनिष्ठ लिपिक भर्ती परीक्षा, 2012 आयोजित कर नियुक्ति प्रदान की गई।

राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा सीधी भर्ती पर प्रतीक्षा सूचि ऑपरेट करने के संबंध में राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 19–07–2001 के द्वारा जारी मार्ग निर्देशानुसार सीधी भर्ती हेतु परीक्षा आयोजन के उपरान्त उपलब्ध हुए रिक्त पदों पर प्रतीक्षा सूची में से वरीयता क्रम में रिक्त पदों पर अत्यावश्यक होने पर नीतिगत निर्णय लिया जाकर नियुक्ति की जा सकती है।

चूंकि विश्वविद्यालय में अशैक्षणिक स्टॉफ की अत्याधिक कमी हैं एवं चयन प्रक्रिया पूर्ण करने पर यथा विज्ञापन जारी करने, आवेदन पत्रों की जाँच, लिखित परीक्षा आयोजन, टाईप टेस्ट आदि में अत्याधिक समय लगता है। अतः उक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए पदोन्नति के कारण रिक्त हुए कनिष्ठ लिपिक के पदों पर कनिष्ठ लिपिक भर्ती परीक्षा, 2012 की प्रतीक्षा सूचि में से वरीयता क्रम में अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रदान करने के संबंध में प्रस्ताव प्रबन्ध मण्डल के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय :– विचार–विमर्श उपरान्त विश्वविद्यालय में कनिष्ठ लिपिकों के पदोन्नति के कारण रिक्त हुए पदों को प्रतीक्षा सूची से भरे जाने के सम्बन्ध में अति–अत्यावश्यक एवं औचित्य संबंधी बिन्दुओं का उल्लेख कर प्रस्ताव आगामी बैठक में प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा बिन्दु संख्या : मगंसिविबी/बोम–20/2012/249

व्यवसायिक पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत छात्रों की **Bio-Metric System** से उपस्थिति संधारित करने के सम्बन्ध में प्रस्ताव

वर्तमान समय में व्यवसायिक पाठ्यक्रमों को संचालित करने वाले महाविद्यालयों में अध्ययनरत छात्रों की महाविद्यालयों द्वारा उपस्थिति पंजिका में उपस्थिति हस्तलिखित संधारित की जा रही है। कुछ महाविद्यालयों के ऐसे प्रकरण ध्यान में आये है कि इस प्रणाली से उपस्थिति संधारित करने वाले महाविद्यालयों द्वारा छात्रों से शुल्क वसूल कर उन्हें उपस्थित रहने में छूट प्रदान की जाती है जिससे व्यवसायिक शिक्षा की गुणवत्ता में निरन्तर कमी आ रही है।

वर्तमान में शिक्षा की गुणवता सुधार एवं महाविद्यालयों द्वारा शुल्क वसूल कर छात्रों को उपस्थिति में छूट प्रदान करने पर प्राप्त होने वाली शिकायतों के संबंध में व्यवसायिक पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत छात्रों की उपस्थिति का संधारण हस्तलिखित प्रणाली के स्थान पर **Bio-Metric System** से संधारित करने के सम्बन्ध में प्रस्ताव प्रबन्ध मण्डल के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय :– प्रथम चरण के अन्तर्गत विश्वविद्यालय से सम्बद्वता प्राप्त शिक्षक–प्रशिक्षण महाविद्यालयों में **Bio-Metric System** से शिक्षकों/छात्र अध्यापकों की उपस्थिति संधारित करने के का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा बिन्दु संख्या : मगंसिविबी/बोम–20/2012/250

मास्टर प्लान में अंकित खेलकूद मैदान के स्थानों संशोधन करने के सम्बन्ध में प्रस्ताव

खेलकूद गतिविधियों के संचालन हेतु विश्वविद्यालय में खेल मैदान तैयार करवाये जाने है। वर्तमान समय में उपलब्ध भूमि में खेलकद मैदान हेतु विश्वविद्यालय मास्टर प्लान में उत्तर दिशा में स्थान अंकित किया गया है जो कि प्रवेश द्वारा से लगभग 1.5 कि.मी. दूरी पर है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एवं राज्य सरकार से अनुदान प्राप्त नही होने की स्थिति और विश्वविद्यालय के पास अतिरिक्त बजट के अभाव में उपरोक्त स्थान पर खेल मैदान पर जाने हेतु अप्रोच रोड़ बनावाया जाना संभव नहीं है।

विश्वविद्यालय मास्टर प्लान में प्रवेश द्वार के पश्चिम दिशा में जो कि रिक्त भूमि के रूप में अंकित किया हुआ है। उक्त स्थान पर एक ट्रेक कम फुटबाल मैदान एवं खेल भवन बनवाया जाना है। साथ ही आवासीय कॉलोनी की तरफ एक बास्केटबॉल, टेनिस, बॉलीबाल एवं बैड़मिन्टन के मैदान तैयार करवाये जाने हैं।

अतः खेल मैदान हेतु मास्टर प्लान में अंकित स्थान में संशोधन हेतु प्रस्ताव प्रबन्ध मण्डल के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय :– प्रबन्ध मण्डल द्वारा विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त विश्वविद्यालय में खेलकूद गतिविधियों को संचालित करने के उद्देश्य को ध्यान में रखे हुए विश्वविद्यालय मास्टर प्लान में प्रवेश द्वार के पश्चिम दिशा में जो कि रिक्त भूमि के रूप में अंकित किया हुआ है, एक ट्रेक कम फुटबाल मैदान एवं खेल भवन का निर्माण करने एवं आवासीय कॉलोनी की तरफ एक बास्केटबॉल, टेनिस, बॉलीबाल एवं बैड़मिन्टन के मैदानों का निर्माण कराने के प्रस्ताव का अनुमोदन करते हुए मास्टर प्लान में तद्नुसार में संशोधन करने का निर्णय लिया गया।

अंत में अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद के साथ बैठक सम्पन्न हुई।

कुलसचिव